

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 09/2023	जी.सी.एम.एस. : 2023/57
राजस्व अपील : 10/2023	जी.सी.एम.एस. : 2023/58
राजस्व अपील : 11/2023	जी.सी.एम.एस. : 2023/59
राजस्व अपील : 12/2023	जी.सी.एम.एस. : 2023/60
राजस्व अपील : 13/2023	जी.सी.एम.एस. : 2023/61

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोजेन्टगण :-
तेजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह जाति राजपुत निवासी आशापुरा तहसील देसूरी जिला पाली		<ol style="list-style-type: none"> 1. अनोप कवर पुत्री चैनसिंह पत्नी ओंकारसिंह जाति राजपुत निवासी खाकरमाला तहसील आमेट जिला राजसंमद राजस्थान। 2. प्रकाश कवर पुत्री चैनसिंह जी के वारीशान <ol style="list-style-type: none"> 2.1 निर्मल कवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी मेव तहसील सोजत 2.2 लीला कवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी गुडाचतरा तह. सोजत 2.3 रेखा कवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी मेव खुर्द तहसील देसूरी 2.4 सुमन कवर पत्नी गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी भालेलाव रोड राजेन्द्र नगर पाली जिला पाली 3. मदन कवर पुत्री चैनसिंह जाति राजपुत के वारीसान - <ol style="list-style-type: none"> 3.1 प्रेम कवर पत्नी दलपतसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा श्यामा तहसील सोजत जिला पाली 3.2 लक्ष्मण कवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपुत निवासी सांरगवास तह. सोजत 4. भूमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवंत सांखला।
2. रेस्पोजेन्ट संख्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजुराम हरियाल।

:- निर्णय :-

दिनांक:- 3.7.2024

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत पॉचों अपीलों में पक्षकार समान होने एवं विषयवस्तु की प्रकृति समान होने से सभी पॉचो अपील पत्रावलियों को समेकित कर निर्णय पारित किया गया।

अपीलान्त की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ग्राम बांता पटवार हल्का बांता के नामान्तरकरण संख्या 833, 818, 798, 823 दिनांक 18.06.1992 तथा


जिला कलक्टर, पाली



नामान्तरकरण संख्या 781 दिनांक 13.09.1991 के विरुद्ध पेश की है। पॉचों अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। सभी पॉचों अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अलग अलग दर्ज की गई। रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बांता पटवार हल्का बांता में खसरा नम्बर 895 रकबा 0.4553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 रकबा 1.7452 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 901 रकबा 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 902 रकबा 0.9232 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1126 रकबा 1.5176 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.6829 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.7335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1129 रकबा 1.3152 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.1382 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1132 रकबा 1.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.6071 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.4074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.4932 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 833 दिनांक 18.06.1992 से सम्बन्धित है, जिसमें 1/6 हिस्सा चैनसिंह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1125 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1130 रकबा 1.6441 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1.5555 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1137 रकबा 1.3911 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 818 दिनांक 18.06.1992 से सम्बन्धित है जिसमें 1/4 हिस्सा चैनसिंह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1109 रकबा 7.8028 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1202 रकबा 1.4543 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1203 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1205 रकबा 1.0244 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1206 रकबा 1.1382 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207 रकबा 1.3278 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 1.3784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1209 रकबा 1.5808 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1210 रकबा 2.7190 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 798 दिनांक 18.06.1992 से सम्बन्धित है, जिसमें 1/6 हिस्सा चैनसिंह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 364 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 1.0876 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 18.06.1992 से सम्बन्धित है, जिसमें 1/6 हिस्सा चैनसिंह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 360 रकबा 0.4553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 1.3278 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.5059 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 2.3269 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 2.2764 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 2.1499 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 2.4914 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 रकबा 1.3521 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 781 दिनांक 13.09.1991 से सम्बन्धित है, जिसमें 1/3 हिस्सा चैनसिंह के नाम दर्ज है। चैनसिंह के फौत हो जाने के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनकी पत्नी भंवर कवर के नाम भरा गया। जो चैन सिंह के विधिक वारिसानों की जांच किये बगैर भरा गया है क्योंकि अपीलाण्ट की माता व रेस्पोजेन्ट संख्या 01, 02 व 03 के पिता चैनसिंह है। चैनसिंह पुत्र सुरसिंह के रेस्पोजेन्ट संख्या 01, 02 व 03 के साथ अपीलार्थी की माता भी प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी है लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण करते समय राजस्व अधिकारियों ने रेस्टोरेन्टगण से साठ-गाठ कर बिना चैनसिंह के विधिक वारिसानों की जांच



[Signature]
 न्यायाधीश, जयपुर

किये बगैर जारी कर दिया। अपीलार्थी की माता के पिता चैन सिंह के देहात होने के उपसंत उनके उत्तराधिकारी के रूप में अपीलार्थी एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 01, 02 व 03 का जैर आराजी पर समान हक अधिकार है, जिसके संबध में अपीलार्थी को जैर अपील नामान्तरकरण की प्रतिलिपी प्राप्त करने पर जानकारी होने पर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी की माता जी के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। रेस्पोजेण्ट संख्या 01, 02 व 03 के समान अपीलार्थी की माता चैनसिंह पुत्र सुरसिंह की सम्पति में समान हक अधिकार रखती है, लेकिन रेस्पोजेण्ट संख्या 04 ने चैनसिंह पुत्र सुरसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बगैर जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 833, 818, 798, 823 दिनांक 18.06.1992 तथा नामान्तरकरण संख्या 781 दिनांक 13.09.1991 को खारिज करवाने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलार्थी तेजेन्द्रसिंह, चैनसिंह पुत्र सुरसिंह के जाईन्दा पुत्री के पुत्र है। रेस्पोजेण्ट संख्या 01, 02 व 03 अपीलाण्ट की माता की बहने है। अपीलाधीन म्यूटेशन पारित होते समय यदि कोई विधिक त्रुटि रह गयी है और उसे दुरुस्त किया जाता है तो रेस्पोजेण्टगण उसका समर्थन करते है। अतः यदि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तो रेस्पोजेण्टगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1991 एवं 1992 में दर्ज किया है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का विन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। चैनसिंह पुत्र सुरसिंह राजपूत के फौत हो जाने पर फौतेदगी जैर नामान्तरकरण संख्या 833 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 818 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 798 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 781 दिनांक 13.09.1991 के द्वारा भवर कंवर पत्नी चैनसिंह को बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी तेजेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह, चैनसिंह की जाईन्दा पुत्री की संतान है। चैनसिंह के फौत होने से अपीलार्थी की माता हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से जैर आराजी में समान हक अधिकार रखती है, जिसका समर्थन अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने भी किया है।

अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 ने दौराने बहस कथन किया कि यदि अपीलाधीन म्यूटेशन पारित होते समय यदि कोई विधिक त्रुटि रह गयी है और उसे दुरुस्त किया जाता है तो रेस्पोजेण्टगण को कोई आपत्ति नहीं है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों की विधिक जांच कर तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि जैर नामान्तरकरण सम्बन्धित पक्षकारों की विधिक जांच किये बिना ही पारित कर दिया, जो खारिज योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं रेस्पोजेण्टगण की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(Signature)

ज.स. वि.स. इन्टर, रावा



परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम बांता के नामान्तरकरण संख्या 833 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 818 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 798 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 18.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 781 दिनांक 13.09.1991 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक चैनसिंह पुत्र सुरसिंह जाति राजपुत के विधिक वारिसानों एवं दरस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय पृथक-पृथक प्रतियों में सभी पॉचों पत्रावलियों के संलग्न किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ सभी पॉचों पत्रावलियों का अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 3/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luhi

(डॉ. राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
बाद. जिला कलक्टर, पाली

Luhi

(डॉ. राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
बाद. जिला कलक्टर, पाली